

शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय

आयुष परिसर, कलियासोत डेम के किनारे, एम.ए.सी.टी. हिल्स, भोपाल
कमांक/कालेज/यू.जी.शुल्क/22/ भोपाल,दिनांक:

:: आदेश ::

मध्य प्रदेश शासन, आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल के राजपत्र दिनांक 01 नवंबर 2022 कमांक एफ-1/001/2022/Sec-1/59/(Ayu) यू.जी. एवं स्वशासी कार्यकारिणी समिति द्वारा शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भोपाल में स्नातक (बी.एच.एम.एस) पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण सत्र 2022-23 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के शुल्क अधोलिखित अनुसार एतद् द्वारा निर्धारित है :-

क्र०	शुल्क विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
1.	शिक्षण शुल्क	35,000-00	35,000-00	35,000-00	52,500-00
2.	स्टूडेंट फण्ड	2,500-00	2,500-00	2,500-00	3,750-00
3.	विकास निधि	5,000-00	5,000-00	5,000-00	7,500-00
4.	भवन निर्माण/संधारण प्रथमवार प्रवेश के समय	10,000-00	-	-	-
5.	शैक्षणिक भ्रमण	3,000-00	-	-	-
6.	ब्लेजर मोनों	150-00	-	-	-
7.	प्रास्पेक्टस	200-00	-	-	-
8.	वि.वि. अन्य प्रभार सहित	7,900-00	-	-	-
	योग	63,750-00	42,500-00	42,500-00	63,750-00
	वापसी योग्य शुल्क				
1.	महाविद्यालय सुरक्षानिधि	10,000-00	-	-	-
2.	छात्रावास सुरक्षा निधि (सिर्फ छात्रावास में निवासित छात्रों के लिये)	10,000-00	-	-	-
	योग	20,000-00	-	-	-
1.	छात्रावास शुल्क (सिर्फ छात्रावास में निवासित छात्रों हेतु) प्रति शैक्षणिक सत्र (गणना 01 जुलाई से 30 जून तक) वापसी योग्य नहीं।	20,000-00	20,000-00	20,000-00	30,000-00

2/ उपरोक्त निर्धारित शुल्क स्नातक पाठ्यक्रम बी.एच.एम.एस. में शिक्षण सत्र 2022-23 में प्रवेशित छात्रों पर लागू होगी।

प्रधानाचार्य एवं सी.ई.ओ.

शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय भोपाल (म.प्र.)

भोपाल,दिनांक: 09/11/22

पृ. कमांक/कालेज/यू.जी.शुल्क/22/7334-41
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव महो०, मध्य प्रदेश शासन, आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल
2. आयुक्त महो० भोपाल संभाग भोपाल एवं मान० अध्यक्ष स्वशासी कार्यकारिणी समिति
3. आयुक्त महोदय, संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश भोपाल
4. लेखा कक्ष-2/शुल्क संधारण कक्ष/स्थापना कक्ष, स्थानीय महाविद्यालय भोपाल
5. नोटिस बोर्ड में प्रदर्शनार्थ -शिक्षण सत्र 2022-23 से बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के संज्ञानार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि आप सभी शासन/स्वशासी कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित शुल्क प्रवेश दिनांक से 30 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से जमा करें, अन्यथा रुपये 20/-प्रतिदिवस के मान से प्रचलित विलम्ब शुल्क सहित राशि जमा करनी होगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

प्रधानाचार्य एवं सी.ई.ओ.

शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय भोपाल (म.प्र.)